भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 6657

(शुक्रवार, 06 अप्रैल, 2018/16 चैत्र, 1940 (शक) को दिया गया)

आई.बी.बी.आई.

6657. श्रीमती कविता कलवकुंतलाः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आई॰बी॰बी॰आई॰) का गठन किया है और यह इसके विनियमन संबंधी प्रारूप तैयार कर रही है; और
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरुण जेटली)**

(क) और (ख): भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) की स्थापना मंत्रालय की दिनांक 01.10.2016 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा की गई थी। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (संहिता) की धारा 240 में आईबीबीआई को संहिता के तहत विनियम बनाने का अधिकार है। जैसा कि संहिता में निहित है, कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान और समापन से संबंधित प्रावधान लागू कर दिए गए हैं और उनसे संबंधित विनियम आईबीबीआई द्वारा पहले ही तैयार किए जा चुके हैं।

*****